IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के समाज कल्याण एवं पुर्नवास विभाग विभाग के संदर्भ में एक अनुभवमूलक अध्ययन एवम समाज कल्याण सुरक्षा से सम्बंन्धित चुनौतियां और सुझाव

रामलाल कूड़ी[1] डॉ. अनिल कुमार पारीक[2]

1. शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा (एफिलिएटेड टू डायरेक्टरेट ऑफ़ रिसर्च कोटा विश्वविद्यालय)

2. सहायक प्रोफेसर, लोक प्रशासन विभाग राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

शोध सारांश: -इस लेख में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के समाज कल्याण एवं पुर्नवास विभाग का संक्षिप्त परिचय, विभाग द्वारा संचालित योजनाएं, विभाग से सम्बन्धित सामाजिक विधान, जिला समाज कल्याण अधिकारी के वेलफेयर स्कीमस के क्रियान्वयन और समीक्षा से सम्बन्धित दायित्वों, सरकारी अनुदान प्राप्त स्वेच्छिक संगठनों की गतिविधियों और परियोजनाओं की निगरानी, विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त का कार्यालय, वर्तमान में दिल्ली में आयुक्त की शक्तियाँ, विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष आयुक्त के पास शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए पारित एक्ट एवं दिशा निर्देश, दिल्ली में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण संस्थान, पुर्नवास गृह आधारित कार्यक्रम, परिविक्षा एवं जेल कल्याण सेवाए, विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या 2011 जनगणना के आंकड़ों में और स्वैच्छिक कार्यवाही सेल पर विस्तार से चर्चा की गई है।

सैंकेताक्षार: समाज कल्याण एवं पुर्नवास विभाग, जिला समाज कल्याण अधिकारी, विकलांग व्यक्तियों के कल्याण/ सामाजिक सुरक्षा, परिविक्षा एवं जेल कल्याण सेवाए, स्वैच्छिक कार्यवाही सेल, आवासीय देखभाल घर, स्वयंसेवी संगठनो के लिए वित्तीय सहायता।

परिचय :- समाज के उपेक्षित, कमजोर और निःसक्त वर्ग के लिए संगठित एवं समन्वित करेन के लिए 1959 में समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गई और बाम्बे प्रिवेंसन ऑफ बेगिंग एक्ट का विस्तार दिल्ली के जीएनसीटी तक किया गया। समाज कल्याण विभाग आवासीय देखभाल घरों और नॉन

इन्सिट्यूसनल सर्विसेज के नेटवर्क के माध्यम से विकलांगो और निराश्रितों के लिए सामाजिक सुरक्षा हेतु कल्याणकारी कार्यक्रम और सेवाए प्रदान करता है। वेलफेयर प्रोग्रामों के उपायो के बारे में आम लोगो में जागरूकता पैदा करके निःसक्त व्यक्तियों को स्वरोजगार का मार्ग प्रदान करता है। वर्तमान में विभाग अपनी सेवाओं को भिखारियों, परिवीक्षाधीनो और कैदियों के वेलफेयर से जुडे "सोशल एक्ट" के द्वारा उपचार, रोकथाम और पुर्नवास से विस्तारित किया है। समाज कल्याण विभाग निःशक्त व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिको आदि के कल्याण में लगे स्वयंसेवी संगठनो को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या राष्ट्रीय राजधानी की जनसख्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 2011 जनगणना के आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या 1,67,87,9741 है। जिसमें विकलांग व्यक्तियों की सख्या 2,34,882 है अर्थात कुल जनसंख्याओं का 1.4 प्रतिशत है।

समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित सामाजिक विधान-

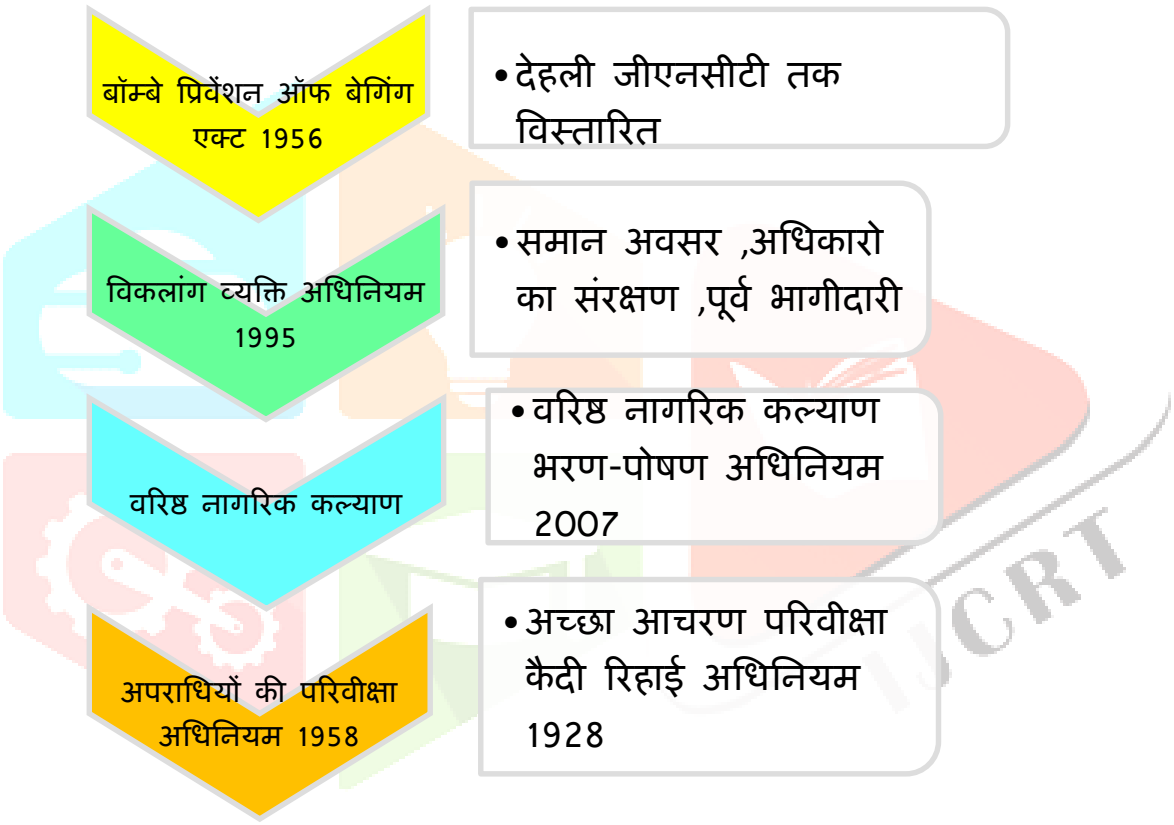

समाज कल्याण एवं पुर्नवास विभाग दिल्ली सरकार द्वारा संचालित योजनाएं निम्नलिखित है :-

- ❖ वृद्वावस्था पेंशन योजना (वृद्वावस्था सहायता)
  - पात्र-बीपीएल वरिष्ठ नागरिक
  - उद्देश्य-पात्र लाभार्थियों की बुनियादी जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता।
  - आवर्ती-मासिक (**2000/-रूपये 60 -69 वर्ष तक 2,500/-रूपये 70** वर्ष से उपर)

- ❖ विधवा पेंशन योजना :-
  - पात्र- लक्षित विधवाए जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।
  - उद्देश्य- विधवा महिला व उसके परिवार को आर्थिक सम्बल द्वारा सामाजिक मुख्य धारा से जोडना।

- आवर्ती -मासिक

❖ विंकलागता पेंशन योजना-

- पात्र-विकलांग व्यक्ति (विकलांगता का आधार सरकार द्वारा तय मानदंडो के अनुसार
- उद्देश्य-विकलांग व्यक्तियों की जीवनयापन गुणवत्ता में सुधार।
- आवर्ती-मासिक (**2500**/-रूपये प्रति महिना **0-59** वर्ष तक बाद में वृद्धावस्था स्कीम में शामिल।

❖ विकलांग व्यक्ति सहायता उपकरणों /उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए वित्तीय सहायता योजना (एडीआईपी प्लान)

- पात्र-विकलांगता।
- उद्देश्य-बेहतर जीवन जीने में मदद करके मानसिक सम्बल प्रदान करना।
- आवर्ती-एक बार/सहायक उपकरणों को खरीदने या फिट करने के लिए वित्तीय सहायता।

❖ दीनदयाल पुर्नवास योजना (डीडीआरएस)

- पात्र-विकलांग व्यक्ति
- माध्यम-गैर सरकारी संगठन एवं स्वैच्छिक संगठन।
- उद्देश्य- मानसिक पक्षाघात, कुष्ठ उपचारित मानसिक-रूंगनता व्यक्ति,गृह आधारित पुर्नवास कार्यक्रम, कम दृष्टि केन्द्रों के लिए परियोजना आदि को वित्तपोषण।

❖ इंदिरागांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओपीएस)

- पात्र- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिक।
- उद्देश्य- वृद्धावस्था आर्थिक सम्बल जीविकोपार्जन हेतु।
- आवर्ती- केन्द्रीय व राज्य सहायोग से मासिक **2000**/-रूपये (क्वाटरली)

❖ गरीब एवं कमजोरो को मुक्त चिकित्सीय सहायता।

- पात्र-आर्थिक रूप से वंचित व्यक्ति।
- उद्देश्य-स्वास्थ्य देखभाल का वहनीय खर्चा न उठा लेने वाले व्यक्तियों को आर्थिक सम्बल
- आवर्ती-रजिस्टर्ड व सरकारी अस्पताल के डॉक्टर द्वारा उल्लेखित उपचार राशि जो तय सरकारी मानकों के अनुसार।

❖ दिल्ली परिवार सम्बल योजना

➢ पात्रता

- ऐसे परिवार जिनमें एकमात्र कमाऊ मुखिया का निधन 18 से 60 वर्ष के भीतर हो गया है।
- पारिवारिक आय आवेदक की एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक न हो।
- आवेदक पिछले पांच वर्षो से राष्ट्रीय राजधानी का निवासित हो।
- आवेदक का प्रचलनीय आधार से लिंक राष्ट्रीय राजधानी में बैंक खाता हो।

➢ अनुदान - जिला कल्याण अधिकारी के वेरीफिकेशन व स्वीकृति के बाद एक बार वन टाईम **20,000** की आर्थिक सहायता।

❖ कुष्ठ रोगियों को आर्थिक सम्बल

➢ पात्रता - कुष्ठ रोगी जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में **1993** से पहले से रह रहा हो।

➢ सहायता - **1800**/-रूपये प्रतिमाह (जिला समाज कल्याण अधिकारी के वेरीफिकेशन, स्वीकृति के बाद।)

जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO)

समाज कल्याण विभाग दिल्ली के सभी जिलों में एक डीएसडब्ल्यूओ (District Social Welfare Officer DSWO) के द्वारा निर्देशित होता है। जिसकी सहायता के लिए उपखंड विभागीय संगठन होता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी अपने सम्बन्धित जिलों में समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रमो के क्रियान्वयन के उचित और प्रभावी, मानदंडो और प्रक्रियाओं का पालन करने में उत्तरदायी होता है। पात्र हितधारकों का समय समय पर सर्वेक्षण, सभी मौजूदा और नये लाभार्थियों की सत्यता की जांच करता है। इस प्रकार डी.एस.डब्ल्यू.ओ. जिले में वेलफेयर से जुडे मामले और विकास से सम्बन्धित वेलफेयर स्कीमस के क्रियान्वयन और समीक्षा से सम्बन्धित दायित्वों को निभाता है। विभाग द्वारा संचालित वित्तीय सहायता योजनाए सामाजिक रक्षा, विकलांग व्यक्तियों के कल्याण, वर्द्ध व्यक्तियों की सुरक्षा व कल्याण, ओल्ड ऐज हॉम चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनो और फोरम के आवेदन की स्थिति जांच और अनुदान आदि कल्याणकारी योजनाए सम्मलित है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्य

- विभागीय वित्तीय सहायता योजनाओं को लागू करना।
- सभी योजनाओं के लिए तय नियमों व मानदंडो के अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी करना।
- पात्र लाभार्थियों का समय-समय पर सर्वेक्षण कराना और नए सदस्यों का वास्तविकता आधारित सत्यापन करके मुख्यालय को रिर्पोट देना।
- स्वेच्छिक संगठनों की गतिविधियों और परियोजनाओं की समय समय पर जांच करना, सरकारी अनुदान प्राप्त स्वेच्छिक संगठनों की निगरानी करना और तैयार की गई रिपोर्ट मुख्यालय को प्रस्तुत करना।
- अपने सम्बन्धित जिले में आने वाली परियोजनाओं के लिए स्वेच्छिक संगठनो को अनुदान के लिए आवेदन प्राप्त करना और सत्यापन रिपोर्ट को मुख्यालय में प्रस्तुत करना।
- क्षेत्राधिकारित जिले में स्वेच्छिक संगठनों को भूमि आवंटन की सिफरिश करने से सम्बन्धित आवेदन प्राप्त करके निरीक्षण एवं सत्यापन पश्चात सिफरिश समिति को मुख्यालय में प्रस्तुत करना।
- सम्बन्धित जिला क्षेत्राधिकार में आने वाली परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सुविधाए प्रदान करना तथा विचारार्थ रखे विषयों को निरीक्षण रिपोर्ट व टिप्पणीयों के साथ मुख्यालय को प्रस्तुत करना।
- जिला समाज कल्याण संस्थाओं में प्रवेश /स्थानान्तरण जिला समाज कल्याण अधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ) की अध्यक्षता में एक प्रवेश समिति होगी जो समाज कल्याण के नजरिए से सहायता प्राप्त लोगो के ऐसे संस्थानो में प्रवेश अथवा दूसरे जिलों में स्थानान्तरण को रेग्यूलेट करेगी तथा रिपोर्ट मुख्यालय को प्रस्तुत की जाएगी।
- समाज कल्याण एवं पुर्नवास विभाग की विभिन्न इकाईयों के सम्बन्ध में डी.एसडब्ल्यूओ के विशिष्ट कार्य, विभाग द्वारा संचालित सभी घरो/संस्थानों के सम्बन्ध समग्र प्रबंधन एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन।
- जिला कारागार में कैदियों की शारीरिक और चिकित्सकीय देखभाल, स्वास्थ्य शिक्षा, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों, व्यवसायिक प्रशिक्षण पुर्नवास जैसे घटको को सही तरीके व समयबद्व लागू करना साथ ही स्वच्छता, सुरक्षा स्टोर (लॉकर) खातो एवं वित्त का कुशल प्रबंधन करना।

- ❖ डी.एस.डब्ल्यू.ओ. अपने जिले में सुलह-मार्ग दर्शन और दहेज निषेध अधिकारी के रूप में सम्बन्धित कृत्यों के लिए उत्तरदायी होगा। अपने जिले में सप्ताह में कम से कम एक बार सुलह मार्गदर्शन और दहेज निषेध के आवश्यक उपाय करेगे।
- ❖ आई.सी.डी.एस परियोजनाओं और ए.डब्ल्यू.सी केन्द्रो में रिकार्ड व स्टॉक की निगरानी सीडीपीओ, पर्यवेक्षक और आंगवादी सहायिको का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना।
- ❖ डी.एस.डब्ल्यू.ओ सम्बन्धित जिले में सार्वजनिक शिकायत अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करते हुए हर मंगलवार और शनिवार को सम्बन्धित जिले से सार्वजनिक शिकायत पर ध्यान देना।
- ❖ **DSWO सम्पदा अधिकारी के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन** सम्बन्धित जिले में आने वाली विभागीय सम्पत्ति की रक्षा करने व अतिक्रमण मुक्त बनाना तथा अतिक्रमण रोकने से सम्बन्धित कानूनो का प्रर्वतन, समाज कल्याण घरो/संस्थानो आई.सी.डी.'एस परियोजनाओं टी.सी.पी.सी., डब्ल्यू सी डब्ल्यू और अन्य विभागीय सम्पत्ति की मौजूदा भूमि व भवनों का रखरखाव करना, विभाग द्वारा अनुमोदित नए निर्माणों के लिए पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के साथ सम्पर्क करना, अनुमान तैयार करना और मंजूरी के लिए मुख्यालय की एस्टेट सेल को भेजना।

विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त का कार्यालय

एक स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण के रूप में समान अवसर, अधिकार की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1985 के तहत अगस्त 2009 से स्वतंत्र कार्यालय शुरू किया गया था, इससे पूर्व प्राधिकृत अधिकार जिला समाज कल्याण अधिकारी में निहित थे। कार्यालयी सहायता के लिए एक उपायुक्त व अन्य सहायक कर्मचारी होते है। आयुक्त कार्यालय को विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम की धारा-80 के तहत व्यापक कार्याक्षेत्र सम्बन्धित क्षेत्र में दिया गया है जो निम्न प्रकार से है :-

- ➢ इस अधिनियम के अनुरूप किसी भी कानून या नीति, कार्यक्रम और प्रोसिजर के प्रावधान की पहचान तथा प्रभावी सुधारात्मक प्रयासों की मंत्रालय को सिफारिश करना।
- ➢ इस अधिनियम द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों की जांच व अधिकारों के लिए सिफारिश जो विकलांग व्यक्तियों के हित में हो ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान का भी अधिकार शामिल है।
- ➢ इस अधिनियम तथा विकलांग व्यक्तियों के अन्य अधिनियम से स्थापित अधिकारों व सुरक्षा उपायों की समीक्षा व सिफारिश करना।
- ➢ विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों ने क्षेत्र में अनुसंधान एवं जागरूकता को बढावा देना।
- ➢ विकलांग व्यक्तियों के अधिकारो के नियमन के बाधक कारकों की पहचान करके उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना।
- ➢ विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाई गई योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी करना।
- ➢ विकलांग व्यक्तियों के लाभ हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त धन के उपयोग की निगरानी।

Organizational Chart

The organizational chart of office of the Commissioner for Persons with Disabilities is as follows

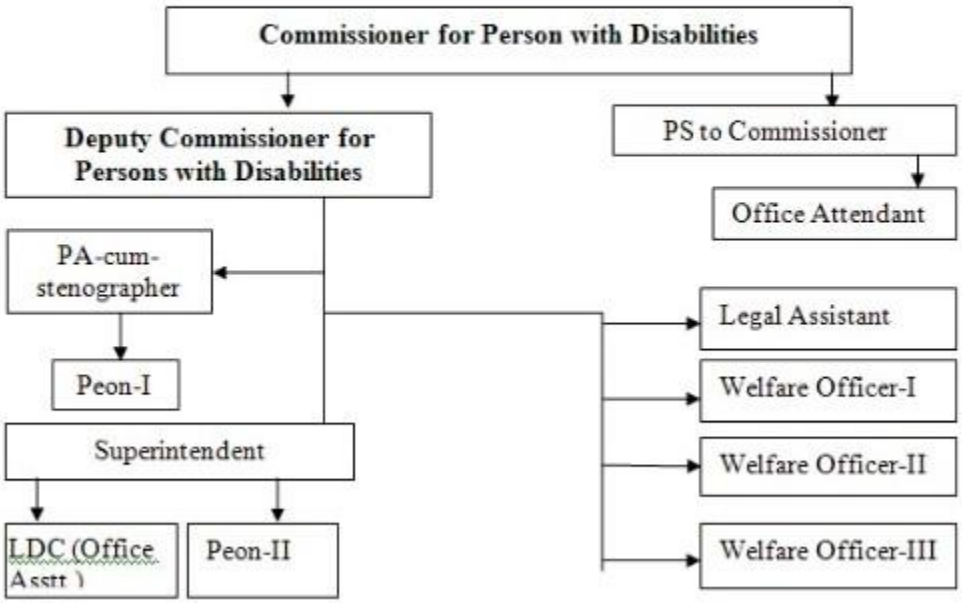

Source: https://discomm.delhi.gov.in

SCPD आयुक्त की शक्तियाँ:-

सिविल प्रक्रिया सहिता **(Code of Civil Procedure,1908)** के तहत आयुक्त को सम्बन्धित अधिकारो व कार्यो के निर्वहन हेतु सिविल अदालत की शक्तियों से सम्पन्न किया गया है। विकलांग व्यक्ति के अधिकारों से सम्बन्धित अधिनियम के मामलों से संबंध मुकदमों की सुनवाई करते समय निम्न अधिकार होगे :-

- गवाहों को सम्मन व उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- गवाह या दस्तावेजो की जांच के लिए कमीशन गठित करना।
- सम्बन्धित दस्तावेज की खोज एवं उत्पादन आवश्यकता।
- शपथ पत्र एवम् साक्ष्य प्राप्त करना।
- सम्बन्धित दस्तावेजात को किसी अदालत एवं सार्वजनिक रिकार्ड से प्रति की मांग।
- आईपीसी (भारतीय दण्ड संहिता 1860) के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही एक न्यायिक कार्यवाही धारा 193 व 228 के तहत होगी तथा यह सिविल न्यायालय के रूप में दंड प्रक्रिया 1973 के अध्याय **(XXVII)** के समरूप होगी।

विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष आयुक्त SCPD के पास शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया :-

- **अधिनियम/नियम– (Rule-49 of the Delhi RPWD 2018)** कोई भी शिकायतकर्ता स्वयं व्यक्तिगत रूप से या किसी अपने प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा आयुक्त को पंजीकृत डाक, ई-मेंल से निम्न विवरण भेजे :-
- शिकायतकर्ता का नाम और पता
- विपक्षी पार्टी/पार्टीयों का नाम, विवरण और पता (विवरण-जैसा भी मामला हो या जहाँ तक संभव हो)
- शिकायत से सम्बन्धित तथ्य, घटित होने का स्थान, समय, तिथि
- शिकायत में दर्ज आरोपो के संदर्भ में दस्तावेज /साक्ष्य राहत आदि।
- शिकायत प्राप्त होने के बाद राज्य आयुक्त शिकायत की एक प्रति विरोधी पक्ष को भेजेगा तथा तीस दिनों के भीतर मामले पर अपना पक्ष रखने का निर्देश इसमें निहित होगा।
- आयुक्त द्वारा सुनवाई निर्धारित तिथि पर दोनो पार्टीयों की उपस्थिति में सुनिश्चित करेगा, एक भी पक्ष के अनुपस्थित होने पर समन /नोटिस /शिकायत को डिफाल्टर /खारिज कर सकता है।
- आयुक्त को विपक्षी पार्टी को अनुपस्थित होने पर धारा-82 के तहत सम्मन/कार्यवाही का अधिकार है।
- आयुक्त को शिकायत को एक पक्षीय निपाटन का भी अधिकार प्राप्त है।
- सुनवाई के किसी भी चरण में स्थगित करने का अधिकार परिस्थितियों के अनुसार आयुक्त को होगा।
- आयुक्त यथासंभव तीन महिने के भीतर शिकायत का निर्णयन करेगा

<u>परिविक्षा एवं जेल कल्याण सेवाए।</u>

समाज कल्याण एव पुर्नवास विभाग अपने मुख्यालय में स्थित **Chief Probation & Prison Welfare Officer** के माध्यम से निराश्रित, आपराधिक बच्चों एवम् वयस्को को प्रोबेसन एवं जेल सेवाए प्रदान करता है। प्रोबेसन मुख्यालय का ध्येय अपराध मुक्त समाज का निर्माण करना है। उनके कार्यो का दायरा निम्न क्षेत्रो से होकर गुजरता है

- सामाजिक जांच।
- पूर्व दंडादेश जांच।
- राज्य दंड़ादेश जांच।
- पैरोल जॉच।
- कारा-कल्याण कार्य।

परिविक्षा के रूप में जिला परिविक्षा अधिकारी तैनात जिले में न्यायिक अदालतों व जेलो से सम्पर्क बनाता है, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट से नियमित बैठक करता है, प्राथमिक स्तर पर छान-बीन करता है, बाल देखभाल एवं संरक्षण के अन्तर्गत न्यायालयों से बाल-अभियुक्तों के मामले में अदालतों को फैसला सुनाने में अभियुक्तों की मदद करता है। अर्थात किशोर अपराधियों को नियमित अपराधी बनाकर जेल में डालने के बजाय परामर्श और पुर्नवास द्वारा रोकता है। वह अपराधी की चिंता एवं ईच्छा पर ध्यान केन्द्रित करता है, और उसे छल करने का प्रयास करता है। उसका लक्ष्य अपराधी को समुदाय का फलवर्धक सदस्य (**Productive Member of the Community**)बनाना होता है। जेल कल्याण के रूप में परिविक्षा अधिकारी कैदियों के पुर्नवास में मदद करता है। परिविक्षा पर रखे अधिकांश अपराधी पहली बार के अपराधी होते है।

परिविक्षा अवधि अपराधियों को कारावास से बचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास होता है। जिसमें विभिन्न चिकित्सकीय व मनौवैज्ञानिक तकनिकी के माध्यम से अपराध की दुनिया में बढते हुए कदमों को सही समय पर रोका जाता है। इस प्रकार परिविक्षा एवम् जेल कल्याण अधिकारी अपराध मुक्त समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण स्तम्भ होता है।

स्वैच्छिक कार्यवाही सेल

राष्ट्रीय राजस्थान दिल्ली क्षेत्र में सामाजिक कल्याण गतिविधियों में लगे गैर सरकारी संगठन **(NGO)** और स्वैच्छिक संगठन **(VO)** को अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए महिला एवम् बाल विकास तथा समाज कल्याण एवम् पुर्नवास विभागों से मिलकर बने संगठन को स्वैच्छिक कार्यवाही सेल कहते है। **GNCT** में वीएसी संगठन को अनुदान सहायता का अनुरोध करने वाले स्वैच्छिक संगठनों के मामलों को संसाधित करने और सिफारिश करने जिम्मेदारी सौपी गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऐसे संगठनों को कल्याण संस्थान स्थापित करने के लिए वीएसी भूमि आवंटन से सम्बन्धित मामलों की गहन पड़ताल करने के बाद जमीन अलॉटमेंट की सिफारिश सम्बन्धित मंत्रालयों को करता है। जहॉ से रिपोर्ट राजस्व विभाग अथवा डी.डी.ए. दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेजी जाती है।

संघ शासित प्रदेश होने के कारण वीएसी भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों की जीआईए (**GIA Grant-In-Aid**) सहायता अनुदान योजनाओं के लिए उपयुक्त प्रस्तावों/आवेदनों की सिफारिश करता है। इस हेतु मंत्रालय के दिशा -निर्देशों और मानदंडों का उचित पालन किया जाता है। वस्तुतः फंड जारी करने की शक्ति केवल भारत सरकार के दोनो मंत्रालयों की होती है। वीएसी की सिफारिशो की प्रकृति सलाहकारी होती है। जो केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्राधिकार क्षेत्र के लिए होती है अर्थात फंड का स्वामित्व व जारी करने का विशेषाधिकार पूरी तरह से संबंधित मंत्रालय का होता है। जबकि जीएनसीटी के दोनों मंत्रालयों के सम्बन्ध में भी प्रकृति सलाह कारी होती है। परन्तु परम्परागत रूप से स्वीकार कर ली जाती है। इसके संरचनात्मक संगठन को जीएनसीटी नियंत्रित करती है।

चुनौतियां:-

1. समाज कल्याण और पुनर्वास विभाग दिल्ली द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं (जैसे वृद्धावस्था सहायता योजना, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना, कुष्ठ रोगियों को वित्तीय सहायता आदि) के लिए आवश्यक दस्तावेजों में काम से कम 5 वर्षों की दिल्ली में निर्वासित होने की अनिवार्यता, भुगतान का प्रतिमाह न होकर त्रैमासिक होना, पारिवारिक आय सीमा का मात्र एक लाख का होना, दिल्ली के आधार नंबर की अनिवार्यता आदि का होना।

2. स्वैच्छिक कार्य इकाई द्वारा गैर सरकारी संगठनों के लिए स्वीकृत अनुदानों में पारदर्शी प्रक्रिया का अभाव, मानक स्वीकृत प्रक्रिया तंत्रों की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप का होना आदि।

3. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित घरों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव जैसे रोहिणी स्थित मानसिक पुनर्वास घर आशा किरण व आशादीप में गंदे टॉयलेट्स, प्रदान की जाने वाली प्रधान की जाने वाले खाने की निम्न गुणवत्ता, कल्याण घरों में राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का अभाव, परिवीक्षा एवं जेल कल्याण

सेवाए के लिए राष्ट्रीय जेल परिवीक्षा- कल्याण मानकों और प्रदत सेवाओं में विश्वसनीयता का अभाव हाल ही में प्रमुख अखबारों की सुर्खियां रहा।

4. समाज कल्याण एवं पुर्नवास विभाग की सेवा वितरण में उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा प्रभावी वितरण सम्बन्धी कार्यो में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाना, उपराज्यपाल को निर्वाचित सरकार पर निगरानी तंत्र को अधिक प्रभावी बनाना, वितरण के वर्तमान माध्यमों को लेकर जीएनसीटी सरकार तथा उपराज्यपाल कार्यालय के मध्य विवाद बढा है।

5. समाज कल्याण एवं पुर्नवास विभाग की सेवा हेतु, क्या संघ शासित प्रदेश दिल्ली की निर्वाचित सरकार को पर्याप्त अधिकार न होना कारक क्या इसके प्रभावी वितरण में बाधक है ?

6. समाज कल्याण एवं पुर्नवास विभाग में भ्रष्टाचार, परम्परागत फाईल सिस्टम की कमियां डिजिटल सूचना संग्रह से विस्थापित हुई, डिजिटल आधारभूत सरचना (Digital Infrastructure) सर्वसुलभ नही होना, सरकारी कार्यालय कार्यभार के अति से ग्रस्त होना, डिजिटल बाधाओं के स्वरूप में परिवर्तन, विभिन्न डिजिटल-तकनीकी खामियां।

सुझाव :-

- प्रक्रियाओं का सरलीकरण :- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लाखों श्रमिकों का मौसमी आगमन- पलायन कृषि, औद्योगिक, निर्माण अधिक गतिविधियों के लिए होता है निर्वाह मजदूरी पर निर्भरता के लिए यह झुग्गी- झोपड़ियों, अनऑथराइज्ड कॉलोनी, लाल डोरा, स्लम आदि में निवासित होते हैं, फलस्वरुप आवश्यक दस्तावेजों का अभाव होता है और मुख्य धारा की सहायता प्राप्त योजनाओं से वंचित हो जाते हैं, अतः इस समुदाय के लिए मौसमी पलायन वन नेशन वन कार्ड आधारित अंतर राज्य पहचान पात्र होने चाहिए।
- डिजिटल सूचना प्रौद्योगिकी आधारित ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया तंत्र का निर्माण जिससे समूची प्रक्रिया जनमानस के पटल पर हो व स्वैच्छिक कार्यवाही इकाई को विधिक या संवैधानिक दर्जा प्रदान करके स्वायत्तता (कार्यकारी वित्तीय देना) फलस्वरुप लाभार्थी आबादी के वृहत हिस्सा लाभान्वित हो सके।
- कल्याण व पुनर्वास सेवाओं के लिए आवश्यक कानून व परिवर्तन तंत्र को पुनर्गठित करना तथा समयानुकूल परिवर्तनों का समावेश करना ,स्पेशल कमिश्नर फॉर डिसेबल्ड पर्सन की शक्तियों को विस्तारित करते हुए कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां संबंधित कानूनो की अनुपालना करवाने के लिए प्रदान करना, इसके अतिरिक्त किसी गैर सरकारी संगठन द्वारा अर्ध-वार्षिक ऑडिट का प्रावधान करके प्राप्त रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा में रखवाना।
- विरोधी पार्टी की सरकार होने के कारण उपराज्यपाल केन्द्र के एजेन्ट के रूप में सप्रसंग सरकार की योजनाओं व नीतियों पर बाधक के रूप में कार्य करते है। प्रशासनिक, विधिक, अर्द्धन्यायिक प्रक्रियाओं का हवाला देकर जीएनसीटी द्वारा लिए गए निर्णयों व नीतियों पर अस्थायी तौर पर अडंगा लगाते है, विवाद अक्सर अखबारो की सुर्खिया होता है जिसके समाधान के लिए अक्सर न्याय पालिका का दरवाजा खटखटाना पडता है। हाल ही के वर्षो में वर्तमान एलजी व दिल्ली सरकार के बीच तल्खी ज्यादा देखी गई है जो सर्विसेज पर नियंत्रण को लेकर है। संवैधानिक उपबंध

और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र तथा दिल्ली सरकार द्वारा राजनीति से ऊपर उठकर स्वीकार होना चाहिए।

- **संविधान के अनुच्छेद 239AA के अनुसार GNCT की स्थिति बाकी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशो से अलग है, लेकिन सर्विसेज पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के मई 2023 के निर्णयन ने इस संभावना पर बल दिया है कि भले ही स्थिति भिन्न हो परन्तु निर्वाचित सरकार को उसे सौपे गए विषयों पर अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर अधिकार होना चाहिए।**
- **समाज कल्याण एवं पुर्नवास विभाग की सेवाओं की प्रदायगी में आने वाली समस्यों के निवारणार्थ सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी योजना त्वरित व सरल उपाय सुझाती है, फैसलैस तकनीकी के कारण भ्रष्टाचार के अवसर घटे है, सरकारी फाईलो की कुल संख्या में आई कमी, डिजिटल सूचना संग्रह मजबूत हुआ है और प्रशासनिक कार्य संस्कृति का समाधान होने से सरकारी तंत्र पर विश्वास बढा है।**

निष्कर्षत:-

इस प्रकार यह शोध अध्ययन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में समाज कल्याण सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां और सुझावों को जनमानस के पटल पर रखता है, साथ ही पुनर्वास प्रणाली में आ रही प्रचालनात्मक और कार्यात्मक चुनौतियों, स्वैच्छिक कार्य इकाई द्वारा गैर सरकारी संगठनों के लिए स्वीकृत अनुदानों, परिविक्षा एवं जेल कल्याण सेवाए, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित घरों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव, स्पेशल कमिश्नर फॉर डिसेबल्ड पर्सन की शक्तियों, समाज कल्याण एवं पुर्नवास विभाग की सेवा वितरण में उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा प्रभावी वितरण सम्बन्धी कार्यो में अनावश्यक हस्तक्षेप, वर्तमान माध्यमों को लेकर जीएनसीटी सरकार तथा उपराज्यपाल कार्यालय के मध्य विवाद का संक्षिप्त शोध विवरण और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में समाज कल्याण एवं पुनर्वास विभाग एवम समाज कल्याण सुरक्षा से सम्बंन्धित चुनौतियों और सुझावों के संदर्भ में एक उपयुक्त अनुभव मूलक अध्ययन प्रस्तुत करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. शर्मा, ओ पी. (2010). भारतीय अर्थव्यवस्था ज्वलंत मुद्दे और समाधान. जयपुर: प्वाइंटर्स पब्लिकेशन.

2. खन्ना, सुदीप. (2018). सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. नई दिल्ली: उप्पल पब्लिशिंग हाउस.

3. आहूजा, राम. (2010). सामाजिक समस्याए. नई दिल्ली: रावत प्रकाशन.

4. ब्लॉगिंग, वेबसाइट. (2019). दिल्ली में सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी. नई दिल्ली: 91 सरकारी योजना डॉट इन प्रकाशन.

5. रिपोर्ट, प्रतिवेदन. (2020). अर्बन प्लैनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. नई दिल्ली: भारतीय लोक प्रशासन संस्थान.

6. दुबे, एस.सी. (2015). सार्वजनिक सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी. नई दिल्ली: विकास पब्लिकेशन हाउस प्रकाशन..

7. रिपोर्ट, वार्षिक. (2020). ई गवर्नेंस दक्षता फ्रेमवर्क. नई दिल्ली: प्रशासनिक सुधारों जन शिकायत निवारण विभाग भारत सरकार प्रकाशन.